



प्रधानमंत्री कसिन मानधन योजना के 5 वर्ष

प्रलिस के लयः

प्रधानमंत्री कसिन मानधन योजना (PM-KMY), प्रधानमंत्री कसिन सममान नधऱ (PM-KISAN), राषट्रीय सूचना वजिज्ञान केंद्र, भारतीय जीवन बीमा नगऱ (LIC), कॉमन सरवसऱ सेंटर (CSC), राषट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP),

मेन्स के लयः

प्रधानमंत्री कसिन मानधन योजना (PM-KMY) के प्रभाव का समालोचनात्मक वश्लेषण कीजयऱ

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यौं?

12 सतंबर, 2019 को शुरु की गई प्रधानमंत्री कसिन मानधन योजना (PM-KMY) ने हाल ही में सफलतापूर्वक पाँच वर्ष पूरे कर लयऱ।

प्रधानमंत्री कसिन मानधन योजना (PM-KMY) क्या है?

परचयः

○ पात्रता: यह योजना सभी जोतधारक लघु एवं सीमांत कसिनौं (देश में वे कसिन जनऱके पास दो हेकटेयर तक भूमऱ है) को सामाजकऱ सुरकषा प्रदान करने के लयऱ शुरु की गई है।

वर्तमान स्थतऱः

- अगस्त, 2024 तक 23.38 लाख कसिन इस योजना के तहत पंजीकृत हो चुके हैं, जनऱमें बहऱर और झारखंड पंजीकरण में अग्रणी हैं।
- उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडऱशा में क्रमशः 2.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख से अधकऱ कसिन पंजीकृत हो चुके हैं।
- यह व्यापक भागीदारी छोटे और सीमांत कसिनौं के बीच बढ़ती जागरूकता एवं योजना को अपनाने की बढ़ती प्रवृत्तऱ को दर्शाती है, जो इस कमज़ोर वर्ग के लयऱ वतऱतीय स्थरऱता सुनश्चऱतऱ करने में इसके महत्त्व को दर्शाती है।

PM-KMY के अंतरगत प्रमुख लाभः

○ मासकऱ अंशदानः नामांकन के दौरान अंशदाता की आयु के आधार पर अंशदान 55 रुपए से 200 रुपए तक कयऱ जाता है।

समान सरकारी अंशदानः केंद्र सरकार पेंशन नधऱ में अभऱदाता/अंशदाता के बराबर राशऱ का अंशदान करती है।

- न्यूनतम सुनश्चऱतऱ पेंशनः 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर प्रत्येक अंशदाता को 3,000 रुपए प्रतिमाह की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन दी जाती है।
 - पारवारकऱ पेंशनः अंशदाता की मृत्यु पर, उसके पतऱ/पत्नी को 1,500 रुपए प्रतिमाह की पारवारकऱ पेंशन मलऱगी, बशरते कऱवे पहले से ही योजना के लाभार्थी न हौं।
 - PM-KISAN लाभः छोटे एवं सीमांत कसिन (SMF) स्वतः डेबटऱ हेतु आवशुकऱ स्वीकृतऱ के साथ स्वैच्छकऱ योगदान के लयऱ अपने प्रधानमंत्री कसिन सममान नधऱ (PM-KISAN) लाभ का उपयोग कर सकते हैं।
- ### नरऱधारतऱ अवधऱ से पूर्व पेंशन योजना से अलग होनाः
- यदऱ अभऱदाता 60 वर्ष की आयु से पूर्व योजना से अलग हो जाता है तो उसे उसके अंशदान के साथ-साथ संचतऱ ब्याज भी मलऱगी।
 - यदऱ कऱसी अभऱदाता की पेंशन प्राप्तऱ के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को अभऱदाता को प्राप्त होने वाली राशऱ के 50% के बराबर पारवारकऱ पेंशन अर्थात 1500 रुपए प्रतिमाह पारवारकऱ पेंशन का हकदार माना जाएगा।
 - अभऱदाता या उसके पतऱ/पत्नी की मृत्यु होने पर शेष धनराशऱ नधऱ में वापस कर दी जाएगी।

योजना का प्रबंधनः

○ पेंशन नधऱ का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा नगऱ (LIC) द्वारा तथा पंजीकरण कॉमन सरवसऱ सेंटर (CSC) और राज्य सरकारों के माध्यम से कयऱ जाता है।

प्रधानमंत्री कसिन सममान नधऱ (PM-KISAN)

- **परिचय:**
 - इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार सभी जोतधारक किसानों के बैंक खातों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि सीधे अंतरि करती है, चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो।
 - इसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था।
- **वित्तपोषण और कार्यान्वयन:**
 - यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका 100% वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
 - इसका कार्यान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- **लाभार्थियों का अभिनिर्धारण:**
 - लाभार्थी किसान परिवारों के अभिनिर्धारण की पूरी ज़िम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है।
- **उद्देश्य:**
 - प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशति कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और उपयुक्त उपज सुनिश्चिती करने के लिये विभिन्न कृषि आदान प्राप्त करने में छोटे एवं सीमांत किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना।
 - ऐसे खर्चों को वहन करने के लिये साहूकारों के चंगुल में फँसने से उन्हें बचाना तथा कृषि गतिविधियों में उनकी नरितरता सुनिश्चिती करना।

कृषि से संबंधित सरकार की प्रमुख पहल क्या हैं?

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचिती योजना (PMKSY)
- राष्ट्रीय कृषि ई-बाजार (e-NAM)
- परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
- डिजिटल कृषि मिशन
- एकीकृत किसान सेवा मंच (UFSP)
- कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP-A)
- प्रवोत्तर क्षेत्र के लिये जैविक मूल्य शृंखला विकास मिशन (MOVCDNER)

नषिकर्ष

अपने कार्यान्वयन के पाँच वर्षों में PM-KMY ने पूरे भारत में छोटे और सीमांत किसानों (SMF) को बहुत हद तक सशक्त बनाया है। इस योजना की प्रमुख उपलब्धियों में से एक किसानों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने में इसकी भूमिका है, जिनमें से कई को कृषि की मौसमी प्रकृति और आय में उतार-चढ़ाव के कारण अनश्चिती भवषिय का सामना करना पड़ता है। सेवानिवृत्त के वर्षों के लिये पेंशन सुनिश्चिती करके, इस योजना ने ग्रामीण आबादी के लक्ष्यमाजिक सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण अंतर को दूर किया है। वगित पाँच वर्षों में इसकी सफलता देश के 'अन्नदाता' के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में छोटे और सीमांत किसानों (SMF) की वित्तीय सुरक्षा पर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) के प्रभाव पर चर्चा कीजिये।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

???

प्रश्न. 'किसान क्रेडिट कार्ड' योजना के अंतर्गत नमिनलखिती में से कनि-कनि उद्देश्यों के लिये कृषकों को अल्पकालीन ऋण सहायता उपलब्ध कराया जाता है? (2020)

1. फार्म परसिंपत्तियों के रख-रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिये
2. संयुक्त कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों एवं मनी ट्रकों के क्रय के लिये
3. फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिये
4. फसल कटाई के बाद खर्चों के लिये
5. परिवार के लिये घर निर्माण तथा गाँव में शीतागार सुवधि की स्थापना के लिये।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2 और 5
(b) केवल 1, 3 और 4

- (c) केवल 2, 3, 4 और 5
(d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारत में नमिनलखिति में से कनिहें कृषमें सार्वजनकि नविश माना जा सकता है। (2020)

1. सभी फसलों के कृषउत्पाद के लयि नयूनतम समर्थन मूल्य नरिधारति करना
2. प्राथमकि कृष साख समतियिों का कंप्यूटरीकरण
3. सामाजकि पूंजी वकिास
4. कृषकों को नःशुल्क बजिली की आपूर्ति
5. बैंकि प्रणाली द्वारा कृष ऋण की माफी
6. सरकारों द्वारा शीतागार सुवधिओं को स्थापति करना।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि-

- (a) केवल 1, 2 और 5
(b) केवल 1, 3, 4 और 5
(c) केवल 2, 3 और 6
(d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

उत्तर: (c)

??????

प्रश्न. नयूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से आप क्या समझते हैं? नयूनतम समर्थन मूल्य कृषकों का नमिन आय के जाल से कसि प्रकार बचाव करेगा? (2018)

